भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं0-टी0 ए0 मिस वाद सं0- 233B/2017-18

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b)

मृत्युन्जय महतो ....आवेदक/विक्रेता

बनाम

सुभद्रा महतो.................................क्रेता

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
26.10.19		

विक्रेता :- मृत्युन्जय महतो पिता स्व0 दुर्गा चन्द्र महतो उर्फ दुर्गाचरण महतो, ग्राम-बड़ाकादल, थाना-राजनगर जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड), जाति-कुर्मी।

क्रेता :- सुभद्रा महतो पति श्री सदानंद महतो, ग्राम-बड़ाकादल, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड), जाति-कुर्मी।

विक्रेता द्वारा दिनांक 20.02.2018 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता सुभद्रा महतो पति श्री सदानंद महतो, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :-

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना /थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
बड़ाकादल	राजनगर/173	75	524	0.36ए0
			528	0.03ए0
			523	0.03ए0
			कुल-	**0.42ए0**

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राजनगर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, राजनगर का पत्रांक 865 दिनांक 29.09.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के पिता के नाम से दर्ज है।
2. बिक्रेता अपने पिता के मृत्यु के पश्चात् अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा-12.58 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता चिकित्सा हेतु भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला एवं जाति-'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते है।

लगातार.............2

Scanned with CamScanner

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राजनगर ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक................................को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राजनगर के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता मृत्युन्जय महतो पिता स्व0 दुर्गा चन्द्र महतो उर्फ दुर्गाचरण महतो, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को क्रेता सुभद्रा महतो पति श्री सदानंद महतो, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला– खरसावाँ(झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा–0.42एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

26/10/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

26/10/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner